

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 948] No. 948] नई दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

सा.का.िन. 1443(ब).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (जेड ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासिनक नियंत्रण के अधीन एक कानूनी निकाय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि. उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो प्रवोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. **निरर्हता**. वह व्यक्ति, -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

6880 GI/2017 (1)

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 6. **शिथिल करने की शक्ति.** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 8. **सेवा की अन्य शर्ते.** भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तों, जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, को केन्द्रीय सरकार के इसी प्रकार की श्रेणी/स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर लागू ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	•	
(1) 1. वैज्ञानिक 'एफ'	(2) *6 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 क (131100- 216600रु.)	(5) लागू नहीं होता।	(6) 50 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और	(7) (1) शैक्षिक बहुताएं: (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में आठरह वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या
					कश्मीर राज्य	(कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी और संचार या

इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) के लहाख खंड, इंजीनियर संस्थान (ए एंड हिमाचल प्रदेश बी) का सहयुक्त सदस्य; या के लाहोल और स्पीति जिले (ख) मंत्रालयों तथा चंबा-जिले विभागों या केन्द्रीय सरकार के पांगी उपखंड. के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त अंदमान और निकायों या पब्लिक सेक्टर निकोबार द्वीप उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों या लक्षद्वीप के में संबंधित कार्य में उन्नीस अभ्यर्थियों वर्ष का अनुभव सहित लिए विहित की गई है।) विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या मंत्रालयों (ग) विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक: या मंत्रालयों (घ) विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। (2) अनिवार्य संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी निम्नलिखित क्षेत्रों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है:-

		0.5
		(i) समस्त परियोजना का
		क्रियान्वयन और
		कार्यान्वयन और
		प्रशासनिक तथा
		तकनीकी प्रक्रियाओं का
		प्रबंधन;
		(ii) क्रियाकलापों का
		निदेशन और नियंत्रण,
		अवसंरचना, प्रणाली
		का संस्थापन और
		क्रियान्वयन;
		(iii) अनुकूलन योजनाओं,
		प्रचालन प्रक्रियाओं को
		नव परिवर्तन और
		सर्जनात्मक रूप देना;
		, (iv) सभी समूहों और
		पणधारियों के बीच
		मजबूत संबंधों का
		अनुरक्षण;
		(v) नेटवर्क, साइबर
		विधियां, ई-वाणिज्य,
		साइबर सुरक्षा और
		साइबर न्यायिक महत्व
		वाले सहित सूचना
		प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
Ļ	I,	अनुभव।
		(3) निम्नलिखित एक या
		ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक
		ज्ञान वांछनीय है -
		या
		(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर;
		या
		(iii) दूरसंचार सेक्टर; या
		(iv) सूचना और संचार
		प्रौद्योगिकी और
		साइबर सुरक्षा सेक्टर;
		या
		(v) परिवहन सेक्टर; या
		(vi) विनिर्माण सेक्टर; या
		_
		(vii) स्वास्थ्य सक्टर।

(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	000	ac c ac;;;	, , , , , ,
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। िटपण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नित उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नौ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपर्व सैनिकों के लिए:
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी
विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि
के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व
में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और
जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित
अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख
तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा
जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से
निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें
पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता
है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		लागू नहीं होता।
1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- अध्यक्ष;	
2. महानिदेशक,	- सदस्य;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से	- सदस्य।	
अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वैज्ञानिक	*6	केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	4 5 वर्ष।	(1) शैक्षिक अर्हताएं:
'ई '	(2017)	सरकार में	स्तर-13	होता।		
	,	समूह 'क'	(118500-		टिप्पण: आयु	(क) मंत्रालयों या
	*कार्यभार	पद के	214100 रु.)		सीमा	विभागों या केन्द्रीय
	कायमार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समतुल्य।	214100 %.)		अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पिब्लक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में तेरह वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में चौदह वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी
					जम्मू और कश्मीर राज्य के	इलेक्ट्रॉनिकी और

				लद्दाख खंड,	संस्थान (ए एंड बी) का
				तिहाख खड, हिमाचल प्रदेश	सहयुक्त सदस्य; या
				के लाहोल और	(3)
				स्पीति जिले तथा	(ख) मंत्रालयों या
				चंबा-जिले के	विभागों या केन्द्रीय
				पांगी उपखंड,	सरकार के अधीनस्थ
				अंदमान और	कार्यालयों या कानूनी
				निकोबार	निकायों या स्वायत्त
					निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या
[]		 		द्वीप या लक्षद्वीप	प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित
				के अभ्यर्थियों के	कार्य में चौदह वर्ष का
				लिए विहित की	अनुभव सहित विज्ञान
				गई है।)	(एमएससी) (भौतिकी या
					इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर
					डिग्री; या
					(ग) मत्रालयो या विभागों या केन्द्रीय
					सरकार के अधीनस्थ
					कार्यालयों या कानूनी
					निकायों या स्वायत्त
					निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों
					में संबंधित कार्य में चौदह
					वर्ष का अनुभव सहित
					(डीओइएसीसी) बी-स्तर
					का इलेक्ट्रॉनिकी और
					प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या
					इलेक्ट्रॉनिकी और
					दूरसंचार इंजीनियर
					(आईईटीई) से स्नातक; या
					(घ) मंत्रालयों या
					विभागों या केन्द्रीय
					सरकार के अधीनस्थ
					कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त
					निकायों या पब्लिक सेक्टर
					उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों
					में संबंधित कार्य में चौदह
					वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में
					मास्टर (एम सी ए)।
					12 , N,
					(2) अनिवार्य और
					संबंधित अनुभवः जिनके
					पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त
					किसी एक या संयुक्त (1)
					पर (क) से (घ) में
-	•	•	,	'	'

	विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य,साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है।
	(3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवार्ष सेक्टर; या
	(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा
	सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800- 209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले

व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपर्व सैनिकों के लिए:
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में
स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे
व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें
सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	•	लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. वैज्ञानिक 'जी' या 'एफ',	- सदस्य;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभा	ग से - सदस्य।	
वैज्ञानिक 'एफ' या ऊपर के स्तर का अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वैज्ञानिक	*14	केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	40 वर्ष।	(1)शैक्षिक अर्हताएं∷
'डी'	(2017)	सरकार में	स्तर-12	होता।		(क) मंत्रालयों या
		समूह 'क' पद	(78800-		टिप्पण: आयु	विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ
	*कार्यभार के	के समतुल्य।	209200 रु.)		सीमा अवधारित	कार्यालयों या कानूनी
	आधार पर				करने के लिए निर्णायक तारीख	निकायों या स्वायत्त
	परिवर्तन				ानणायक ताराख भारत में	निकायों या पब्लिक
	किया जा				अभ्यर्थियों से	सेक्टर उपक्रमों या
	सकता है।				आवेदन प्राप्त करने	प्राइवेट सेक्टरों में
					के लिए नियत की	संबंधित कार्य में आठ
					वर रहालु समावत करा	वर्ष (इंजीनियर संस्थान

गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लहाख खंड. हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले पांगी उपखंड, और अंदमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

के सहयुक्त सदस्य के रूप में नौ वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री (कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या संचार या इलेक्ट्रॉनिकी और इंजीनियर दूरसंचार) संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या

(ख) मंत्रालयों या विभागों

या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या निकायों स्वायत्त या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन

1	1	1	में मास्टर (एम सी ए)।
			(2) अनिवार्य और
			संबंधित अनुभव: जिनके
			पास उपरोक्त (1) पर
			(क) से (घ) और उपरोक्त
			किसी एक या संयुक्त (1)
			पर (क) से (घ) में
			विनिर्दिष्ट संगठनों में भी
			नेटवर्क, साइबर विधियां,
			ई-वाणिज्य,साइबर सुरक्षा
			और साइबर न्यायिक
			महत्व वाले सहित सूचना
			प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
			यथाविनिर्दिष्ट अवधि का
			अनुभव है।
			(3) निम्नलिखित एक
			या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय
			है -
			। ह - । (i) वित्तीय सेवाएं
			सेक्टर; या
			, ,
			(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या
			(iii) दूरसंचार सेक्टर; या
			**
			(iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और
			साइबर सुरक्षा
			सेक्टर; या
			(v) परिवहन सेक्टर; या
			(vi) विनिर्माण सेक्टर;
			या
			(vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

लागू नहीं होता। तिपण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोक्ष वर्षा एक वर्ष। है)/आमेलन या पुन:नियोजन संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और
208700 रु.)

प्रशिक्षण विभाग की	या समतुल्य में नियमित आधार पर
किसी अन्य नीति के	नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष
अधीन होगी।	नियमित सेवा की है; और
6	
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे
	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
	विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी
	अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से
	ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है
	साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।
	भूतपर्व सैनिकों के लिए:
	सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी
	विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि
	के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व
	में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके
	पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं।
	ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक
	प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा
	जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त
	किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन
	पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक,	-अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य,	- सदस्य;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या	- सदस्य।	
विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' स्तर का अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. वैज्ञानिक	* 42	केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नर्ह	35 वर्ष।	(1)शैक्षिक अर्हताएं:
'सी'	(2017)	सरकार में	स्तर-11	होता।		
		समूह 'क' पद	(67700-		टिप्पण: आयु	(क) मंत्रालयों या
	*कार्यभार के	के समतुल्य।	208700 रु.)		सीमा अवधारित	विभागों या केन्द्रीय
	आधार पर				करने के लिए	सरकार के अधीनस्थ
	परिवर्तन				निर्णायक तारीख	कार्यालयों या कानूनी
	किया जा				भारत में	निकायों या स्वायत्त

सकता है।				अभ्यर्थियों से	निकायों या पब्लिक सेक्टर
				आवेदन प्राप्त	उपक्रमों या प्राइवेट
				करने के लिए	सेक्टरों में संबंधित कार्य में
				नियत की गई	पांच वर्ष (इंजीनियर
				अंतिम तारीख	संस्थान के सहयुक्त सदस्य
				होगी	के रूप में छह वर्ष) का
					अनुभव
				(न कि वह	सहित प्रौद्योगिकी में
				अंतिम तारीख	बैचलर डिग्री या
				जो असम,	इंजीनियरी में बैचलर
				मेघालय,	डिग्री या (कम्प्युटर
				अरुणाचल प्रदेश,	विज्ञान या कम्प्यूटर
				मिजोरम,	इंजीनियरी या सूचना
				मणिपुर, —— ३:-	प्रौद्योगिकी या
				नागालैंड,	इलेक्ट्रॉनिकी और संचार
				त्रिपुरा, सिक्किम,	या इलेक्ट्रॉनिकी और
				जम्मू और कश्मीर राज्य के	दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का
				लद्दाख खंड,	सहयुक्त सदस्य; या
				हिमाचल प्रदेश	
				के लाहोल और स्पीति जिले तथा	(ख) मंत्रालयों या
				स्पात जिल तथा चंबा-जिले के	विभागों या केन्द्रीय सरकार
				पांगी उपखंड,	के अधीनस्थ कार्यालयों या
					कानूनी निकायों या
				अंदमान और	स्वायत्त निकायों या
				निकोबार द्वीप	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या
				या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित
				अभ्यर्थियों के लिए विहित की	कार्य में छह वर्ष का अनुभव
				ालए ।याहत का गई है⊦)	सहित विज्ञान (एमएससी)
				गर ७।)	(भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी
					या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर
					डिग्री; या
					(ग) मंत्रालयों या
					विभागों या केन्द्रीय
					सरकार के अधीनस्थ
					कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त
					निकायों या पब्लिक सेक्टर
					उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों
					में संबंधित कार्य में छह वर्ष
					का अनुभव सहित
					(डीओइएसीसी) बी-स्तर
					का इलेक्ट्रॉनिकी और
					प्रत्यायन विभाग का
					कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या
					इलेक्ट्रॉनिकी और
					दूरसंचार इंजीनियर
					(आईईटीई) से स्नातक; या
					(घ) मंत्रालयों या
					विभागों या केन्द्रीय
<u> </u>	i	l	i-	i	

			सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। (2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी
			एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियों, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अविधि का अनुभव है।
			(3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या
			 (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या	जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।		संविदा भी है)/आमेलन:

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना		2 4 _
		धारण किए हुए है; या
प्रौद्योगिकी मंत्रालय या		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग
कार्मिक और प्रशिक्षण		
विभाग की किसी अन्य		में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10
नीति के अधीन होगी ।		(56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के
		पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष
		नियमित सेवा की है; और
		ानयामत सवा का ह, आर
		(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे
		भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
		लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और
		अनुभव है।
		टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
		अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी
		अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से
		-
		ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
		पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है
		साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
		टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के
		लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त
		करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से
		अधिक नहीं होगी।
		भूतपर्व सैनिकों के लिए:
		सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी
		विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की
		अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं
		या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं
		और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और
		विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस
		तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर
		रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र
		बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात
		उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा
		सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य,	- सदस्य;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या	- सदस्य।	
केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से निदेशक		
या समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. वैज्ञानिक	*57	केंद्रीय सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	लागू	नहीं	30 वर्ष।	(1)शैक्षिकअर्हताएं:
'बी'	(2017)	में समूह 'क'	स्तर-10	होता।		टिप्पण: आयु	मंत्रालयों या विभागों
ુ લા	*कार्यभार के	पद के	(56100-			सीमा अवधारित	या केन्द्रीय सरकार के
	आधार पर	समतुल्य।	177500 रु.)			करने के लिए	अधीनस्थ कार्यालयों
	परिवर्तन परिवर्तन	3	,			निर्णायक तारीख	या कानूनी निकायों
	किया जा					भारत में	या स्वायत्त निकायों
	सकता है।					अभ्यर्थियों से	या पब्लिक सेक्टर
						आवेदन प्राप्त	उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित
						करने के लिए	सक्टरा म सबाधत कार्य (इंजीनियर
						नियत की गई	संस्थान के सहयुक्त
						अंतिम तारीख होगी (न कि वह	सदस्य के रूप में एक
						हागा (न ाक वह अंतिम तारीख	वर्ष) का अनुभव
						जो असम,	सहित प्रौद्योगिकी में
						मेघालय,	बैचलर डिग्री या
						अरुणाचल प्रदेश,	इंजीनियरी में बैचलर
						मिजोरम,	डिग्री या (कम्प्युटर
						मणिपुर,	विज्ञान या कम्प्यूटर
						नागालैंड,	इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या
						त्रिपुरा, सिक्किम,	प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या
						जम्मू और	संचार या
						कश्मीर राज्य के	 इलेक्ट्रॉनिकी और
						लद्दाख खंड,	दूरसंचार) इंजीनियर
						हिमाचल प्रदेश	संस्थान (ए एंड बी)
						के लाहोल और स्पीति जिले	का सहयुक्त सदस्य;
						स्पाति ।जल	या
							(क) मंत्रालयों या
							विभागों या
						तथा चंबा-जिले	केन्द्रीय सरकार के
						के पांगी उपखंड,	अधीनस्थ कार्यालयों या
						अंदमान और	कानूनी निकायों या
						निकोबार द्वीप	स्वायत्त निकायों या
						या लक्षद्वीप के	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में
						अभ्यर्थियों के	या प्राइवट सक्टरा म संबंधित कार्य में एक वर्ष
						लिए विहित की	का अनुभव सहित विज्ञान
						गई है।)	(एमएससी) (भौतिकी या
						_	इलेक्ट्रॉनिकी या
						टिप्पण 2:	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी)
						रोजगार	में मास्टर डिग्री; या
						कार्यालय के	(ख) मंत्रालयों या
						माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों	विभागों या केन्द्रीय
						वाल अभ्याथया की दशा में आयु	सरकार के अधीनस्थ
						का दशा म आयु सीमा अवधारित	कार्यालयों या कानूनी
						करने के लिए	निकायों या स्वायत्त
						निर्णायक तारीख	निकायों या पब्लिक
						वह अंतिम	सेक्टर उपक्रमों या
						तारीख होगी	प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष
						जिस तक	सबाधत काय म एक वष का अनुभव सहित
						रोजगार	का अनुमव साहत (डीओइएसीसी) बी-स्तर
						कार्यालय से नाम	(जानाइड्याया) आन्त्यर

		भेजने के लिए	का इलेक्ट्रॉनिकी और
		कहा गया है।	प्रत्यायन विभाग का
			कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या
			इलेक्ट्रॉनिकी और
			दूरसंचार
			इंजीनियर (आईईटीई) से
			स्नातक; या
			(ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)।
			(2) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान
			वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या
			(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या
			(iii) दूरसंचार सेक्टर; या
			(iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और
			साइबर सुरक्षा सेक्टर; या
			(v) परिवहन सेक्टर; या
			(vi) विनिर्माण सेक्टर; या
			(vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले	प्रतिनियुक्ति (जिसके	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	संविदा भी है)/आमेलन:

विभाग की किसी अन्य	किए हुए है; या
नीति के अधीन होगी ।	
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में
	क्रमश: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या स्तर -
	7 (47600-151100 रु.) या (44900-
	142400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो या
	तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और
	(।।। प्य ।।।यामा (।या मा ह, जार
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे
	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
	विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
	संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।
	भूतपर्व सैनिकों के लिए:
	सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी
	विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के
	भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में
	स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके
	पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक
	प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा
	जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त
	किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन
	पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।	
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य या ऊपर का अधिकारी,	- सदस्य;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग	-सदस्य।	
से वैज्ञानिक 'ई' या ऊपर के स्तर का कोई अधिकारी		

(1	1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
	विधि	*1		केंद्रीय सरकार में	वेतन	मैट्रिक्स	में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
अधिक	गरा	(2017)		समूह 'क' पद के	स्तर-1	3 (11850	00-			
		*कार्यभार	के	समतुल्य।	2141	00 रु.)				
			पर							
		परिवर्तन कि	या							
		जा सकता है।								

(8)	(9)	(10)	(11)
होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) अनिवार्य अहंताएं और अनुभव: (i) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री है; और (ii) जिसके पास संबंधित मामलों को करने का तेरह वर्ष का अनुभव है: (क) महत्वपूर्ण निविदाओं या करार या लागत और लेखों सहित प्रशासन या वित्त; और (ख) ई-शासन बौद्धिक संपदा अधिकार नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य जिसके अंतर्गत ई-शासन, नेटवर्क, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य क्षेत्रों में अकादमी के क्षेत्र का अनुभव भी सम्मिलत है।
			(ग) वांछनीय बर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइबर विधियां में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपर्व सैनिकों के लिए:
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा
जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास
अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस
तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस
तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।	
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या अपर सचिव,		
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या	- सदस्य;	
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
में वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य		
3. अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से संयुक्त सचिव,	- सदस्य।	
भारत सरकार के स्तर का कोई अधिकारी या समतुल्य		
अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. ज्येष्ठ	*2	केंद्रीय सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं
निजी सचिव	(2017)	में समूह 'ख'	(47600-151100 रु.)	होता।		होता।
सचिव		पद के				
	*कार्यभार के	समतुल्य।				
	आधार पर					
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8) (9)		(10)			(11)		
ागू ोता	नहीं	लागू होता	नहीं	प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक या पुन:नियोज	(जिसके संविदा भी है) <i>/</i> ान	अंतर्गत /आमेलन	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) आवेदक को आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और उसे कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

		सरकार के उसी या किसी नियुक्ति से ठीक पहले धा	ो अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्य संगठन या विभाग में इस रित किसी अन्य काडर बाह्य पद धि है साधारणतया 5 वर्ष से
			पर नियुक्ति के लिए अधिकतम करने की अंतिम तारीख को 56
		जाएगा जो एक वर्ष की अ वाले हैं या रिजर्व में स्था जिनके पास अपेक्षित अनुभ व्यक्तियों को उस तारीस् पर रखा जाएगा जिस	तों के संबंध में भी विचार किया ।विधि के भीतर सेवा निवृत्त होने नांतरित किए जाने वाले हैं और अब और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे ब तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से ात्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर
	(10)	बने रहने दिया जा सकता	
विभागीय चयन समिति जिसमें ।	(12) नेम्नलिखित डोंगे'-		(13) लागू नहीं होता।
 महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रति वैज्ञानिक 'डी' के स्तर का अधि 	- अध्य क्रिया दल या	क्ष;	11 X 1161 617111
 भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौट उप सचिव या समतुल्य अधिव 	ोगिकी मंत्रालय का गरी		
3. भारत सरकार के किसी अन्य या कानूनी निकायों से वैज्ञानि			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. प्रशासनिक अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(11g/4)	142400 रु.)			

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

 ·
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और
(ख) आवेदक को किसी सरकारी संगठन या कार्यालय में सभी प्रशासनिक मामलों और कार्मिक मामलों को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपर्व सैनिकों के लिए:
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से
निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।	
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या	- सदस्य;	
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
का निदेशक या समतुल्य अधिकारी		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या	- सदस्य।	
विभाग या संगठन से उप सचिव या समतुल्य अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. लेखा और वित्त अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)		(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू न होता	अल्पकालिक	(जिसके अंतर्गत संविदा भी या पुन: नियोजन	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-
				(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
				(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.) में
				तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और
				(ख) आवेदक को किसी सरकारी संगठन या कार्यालय में सभी प्रकार के वित्त और लेखा को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
				(ग) कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी जैसे कि निजी कम्प्यूटर के उपयोग और प्रचालन वर्ड प्रोसेसिंग, इन्टरनेट और ई-मेल करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
				टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार
				के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक
				पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
				टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
				सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक
				नहीं होगी।
				भूतपर्व सैनिकों के लिए:
				सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या
				रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास
				अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस
				तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात
				उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में	- सदस्य;	
संयुक्त निदेशक या समतुल्य		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या	- सदस्य।	
संगठन से उप सचिव या समतुल्य अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. निजी	*4	केंद्रीय सरकार में	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	30 वर्ष।	किसी मान्यता
सचिव	(2017)	समूह 'ख' पद के	स्तर-7	होता।	टिप्पण: आयु सीमा	प्राप्त विश्वविद्यालय से
सचिव	(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर-7 (44900- 142400 रु.)	होता।	टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और 100 शब्द प्रति मिनट की दर से आशुलिपिक गति।
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

(8))	(9)	(10)	(11)
लागू	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
होता।		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन	संविदा भी है)/आमेलन:
			या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक
			टिप्पण: सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय	सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के
			या इलेक्ट्रॉनिकी और सुचना	अधीन ऐसे अधिकारी:-
			प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में
			मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के	नियमित आधार पर सदृश पद धारण
			माध्यम से की जाएगी ।	किए हुए है; या
				(ii) आशुलिपिक या निजी सहायक
				जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4
				(25500-81100 रु.) या समतुल्य में
				नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात
				उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की
				है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6
				(35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की
				नियमित सेवा की है।
				(ख) आवेदक को आशुलिपिक उत्तीर्ण की
				होनी चाहिए और कम्प्यूटर का
				कार्यसाधक ज्ञान और अनुभव होना
				चाहिए।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति	
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार	के उसी या किसी
अन्य संगठन या विभाग	ा में इस नियुक्ति से
ठीक पहले धारित किस	ी अन्य काडर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति	की अवधि है
साधारणतया 5 वर्ष से ३	ाधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति	पर नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु सीमा अ	गवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को 56	वर्ष से अधिक नहीं
होगी।	
भूतपर्व सैनिकों के लिए:	
सशस्त्र बल के ऐसे कार्	
विचार किया जाएगा जे	•
के भीतर सेवा निवृत्त हे	
में स्थानांतरित किए जा	
पास अपेक्षित अनुभव औ	
। ऐसे व्यक्तियों को	
प्रतिनियुक्ति के निबंधन	·
जिस तारीख से उन्हें स	शस्त्र बल से निर्मुक्त
किया जाना है; तत्पश्च	ात उन्हें पुनर्नियोजन
पर बने रहने दिया जा स	कता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या		
वैज्ञानिक 'डी' स्तर का अधिकारी		
2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या	- सदस्य;	
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
का उप सचिव या समतुल्य अधिकारी		
3. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग	- सदस्य।	
या कानूनी निकायों से वैज्ञानिक 'डी' स्तर का अधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. सहायक	*2 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	(8)	(9)	(10)	(11)
Ī	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी
	होता।		अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन	है)/आमेलन:
			या पुन:नियोजन।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर
				उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे

	अधिकारी:-
	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृय पद धारण किए हुए है; या
	(ii) कार्यालय सहायक या समतुल्य जिन्होंने क्रमश: वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 या स्तर-4 (29200-92300 रु.) या (25500-81100 रू.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष या दस वर्ष नियमित सेवा की है।
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपर्व सैनिकों के लिए:
	सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख
	से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।	
1. महानिदेशक,	- अध्यक्ष;	
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल		
2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या	- सदस्य;	
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
में उप सचिव या संयुक्त निदेशक या समतुल्य अधिकारी		
3. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या	- सदस्य।	
कानूनी निकायों से वैज्ञानिक 'डी' या समतुल्य सरकारी अधिक	गरी	

[फा. सं. 1(5)/2016-का.III] राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

- **G.S.R.** 1443(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ze) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and 'B' posts in the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), a statutory body under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification. No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- **7. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- **8.** Other conditions of service. Other conditions of service of the officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to similar category/level of officers and employees of the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Scientist 'F'.	*6	Equipplant to Crown IA!	Laval 12A in the new	Not annliaghla
1. Scientist F.	· ·	Equivalent to Group 'A'	Level-13A in the pay	Not applicable.
	(2017)	post in the Central	matrix (Rs. 131100-	
		Government.	216600).	
	*Subject to variation			
	dependent on			
	workload.			

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(a) Bachelor degree in Technology or Bachelor degree in Engineering or Associate Member of Institute of Engineers (A&B) (Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication) with eighteen years (nineteen years for Associate Member of Institute of Engineers) of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or (b) Master degree in Science (M.Sc.) (Physics or Electronics or Applied Electronics) with nineteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or (c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with nineteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of the Central Government or Onte Contral Government or Attached & Subordinate Offices of the Central Government or Onte Central Government Onte Central Go	Note: Promotion of Scientific and Technical officers will be covered under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) or any other policy of the Ministry of Electronics and Information Technology or Department of Personnel and Training.	One year for direct recruits.	Deputation (including short-term contract)/ absorption or reemployment or direct recruitment.

Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or

- (d) Master of Computer Application (MCA) with nineteen years of relevant work experience from Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of Government Central Statutory Bodies or Autonomous **Bodies** Public or Sector Undertakings or Private Sectors.
- (2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or combination of the following fields, namely:-
- (i) overall implementation and operationalisation of project and management of administrative and technical processes;
- (ii) direct and control of activities, installation and

implementation of infrastructure, systems;

- (iii) infuse innovation and creativity to strategic plans, operational procedures;
- (iv) coordinating and maintaining strong relationship among all groups and stakeholders;
- (v) experience in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics.
- (3) Working knowledge in the following one or more areas is desirable -
- (i) Financial Services Sector; or
- (ii) Energy or Power Sector; or
- (iii) Telecommunications Sector;
- (iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or
- (v) Transport Sector; or
- (vi) Manufacturing Sector; or
- (vii) Health Sector.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	Departmental Selection Committee consisting of: - 1. Secretary, Ministry of — Chairman; Electronics and Information Technology 2. Director General, —Member; Indian Computer Emergency Response Team	Not applicable.

(ii) having five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100) or nine years regular service in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and possessing the educational

qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).

Note-1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not

3. An officer of the level of Additional Secretary or Joint Secretary from any other Ministry or Department of the Central Government

- Member.

exceed five years.	
Note 2: The maximum age-limit for	
appointment on deputation shall be not	
exceeding fifty-six years as on the	
closing date of receipt of applications.	
For ex-servicemen:	
The Armed Forces personnel due to retire	
or who are to be transferred to reserve	
within a period of one year and having	
the requisite experience and	
qualifications prescribed shall also be	
considered and, if selected, such persons	
shall be given deputation terms up to the	
date on which they are due for release	
from the Armed Forces, and thereafter	
they may be continued on re-employment	
terms.	

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
2. Scientist 'E'.	*6 (2017)	Equivalent to Group	Level-13 in the pay	Not applicable.
	*Subject to variation	'A' post in the	matrix (Rs.118500-	
	dependent on workload.	Central	214100).	
	_	Government.		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45 years.	(1) Educational qualifications:	Not applicable.	One year for	Deputation
	(a) Bachelor degree in Technology	Note: Promotion of	direct	(including
Note: The crucial date	or Bachelor degree	Scientific and	recruits.	short- term
for				contract)/
determining the age-	In Engineering or Associate	Technical officers		Absorption or
limit shall be the	Member of Institute of Engineers	will be covered under		re-
closing date for	(A&B) (Computer	Modified		employment or
receipt of applications	Science or Computer Engineering	Flexible		direct
from candidates in	or Information Technology or	Complementing		recruitment.
India (and not the	Electronics and Communication or	Scheme (MFCS) or		
closing date	Electronics and	any other policy of		
prescribed for	Telecommunication) with	Ministry of		
those in Assam,	thirteen years (fourteen years for	Electronics and Information		
Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Associate Member of Institute of	Technology or		
Mizoram, Manipur,	Engineers) of relevant work	Department of		
Nagaland, Tripura,	experience in Ministries or	Personnel and		
Sikkim, Ladakh	Departments or Attached and	Training.		
Division of Jammu	Subordinate Offices of the Central	Truming.		
and Kashmir State,	Government or Statutory Bodies or			
Lahaul and Spiti	Autonomous Bodies or Public			
District and Pangi	Sector Undertakings or Private			
Sub-division of	Sectors;			
Chamb District of				
Himachal Pradesh,	Or			
Andaman and				
Nicobar Islands or	(b) Master degree in Science			
Lakshadweep).	(M.Sc.) (Physics or Electronics or			
	Applied Electronics) with fourteen			
	years of relevant work experience			
	in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices			
	of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous			
	Bodies or Public Sector			
	Undertakings or Private Sectors;			
	Ondertakings of Trivate Sectors,			
	Or			
	(c) Department of Electronics			
	and Accreditation of Computer			
	Courses (DOEACC) B-Level or			
	Graduate Institute of Electronics			
	and Telecommunication Engineers			
	(IETE) with fourteen years of			
	relevant work experience in Ministries or Departments or			
	Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of			
	the Central Government or			
	Statutory Bodies or Autonomous			
	Bodies or Public Sector			
	Undertakings or Private Sectors;			
	Or			
	(d) Master in Computer			
	Application (MCA) with			
	fourteen years of relevant work			
	experience in Ministries or			
	Departments or Attached and			
	Subordinate Offices of the Central			
	Government or Statutory Bodies or			
	Autonomous Bodies or Public			

Sector Undertakings or Private	
Sectors.	
(2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or the combination in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics.	
3) Working knowledge in the following one or more areas is desirable – (i) Financial Services Sector; or (ii) Energy or Power Sector; or (iii) Telecommunications Sector; or (iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or (v) Transport Sector; or (vi) Manufacturing Sector; or (vii) Health Sector.	

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption:-	Departmental Selection Committee consisting of: -	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -	Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency Response Team	
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or(ii) with five years regular service in the	2. Scientist, 'G' or 'F', - Member; Indian Computer Emergency Response Team	
grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and	Officer of the level of - Member. Scientist 'F' or above from any other Ministry or Department of the Central Government	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).		
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or		
Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be		

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For ex-servicemen:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
3. Scientist 'D'.	*14	Equivalent to Group 'A'	Level-12 in the pay	Not applicable.
	(2017)	post in the Central	matrix (Rs. 78800-	
		Government.	209200).	
	*Subject to variation		·	
	dependent on workload.			
	-			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
40 years.	1) Educational qualifications:	Not applicable.	One year	Deputation
			for direct	(including short-
Note: The crucial date		Note: Promotion of	recruits.	term contract)/
for determining the		Scientific and		absorption or re-
age-limit shall be the		Technical officers		employment or
closing date for	(a) Bachelor degree in	will be covered		direct recruitment.
receipt of applications	Technology or Bachelor degree in	under Modified		
from candidates in	Engineering or Associate Member	Flexible		
India (and not the	of Institute of Engineers (A&B)	Complementing		
closing date	(Computer Science or Computer	Scheme (MFCS) or		
prescribed for those in	Engineering or Information	any other policy of		
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh.	Technology or Electronics and	Ministry of Electronics and		
,	Communication or Electronics and	Electronics and Information		
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Telecommunication) with eight	Technology or		
Sikkim, Ladakh	years (nine years for Associate Member of Institute of Engineers)	Department of		
Sikkiiii, Lauakii	of relevant work experience in	Personnel and		
	Ministries or Departments or	Training.		
	Attached and Subordinate Offices	Tuming.		
	of the			
Division of Jammu	Central Government or Statutory			
and Kashmir State,	Bodies or Autonomous Bodies or			
Lahaul and Spiti	Public Sector Undertakings or			
District and Pangi	Private Sectors;			
Sub-division of	,			
Chamba District of	Dr			
Himachal Pradesh,				
Andaman and	(b) Master degree in Science			
Nicobar Islands or	(M.Sc.) (Physics or			
Lakshadweep).	Electronics or Applied			
	Electronics) with nine years of			
	relevant work experience in			
	Ministries or Departments or			
	Attached and Subordinate Offices			
	of the Central Government or			
	Statutory Bodies or Autonomous			
	Bodies or Public Sector			

Undertakings or Private Sectors;

Or

(c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with nine years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;

Or

- (d) Master in Computer Application (MCA) with nine years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors.
- (2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or the combination in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics.
- Working knowledge in the following one or more areas is desirable –
- (i) Financial Services Sector; or
- (ii) Energy/Power Sector; or
- (iii) Telecommunications Sector; or
- (iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or
- (v) Transport Sector; or
- (vi) Manufacturing Sector; or
- (vii) Health Sector.

(11)	(12)		(13)
Deputation (including short-term	Departmental Selection Committee	consisting of: -	Not applicable.
contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies –	Director General, Indian Computer Emergency Response Team	- Chairman;	
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	Scientist 'F' or equivalent in Indian Computer Emergency Response Team	- Member;	
(ii) with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and	An officer of the level of Scientist 'F' from any other Ministry or Department of the Central Government	- Member.	
(B) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column(7).			
Note1: Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.			
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.			
For ex-servicemen:			
The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.			

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
4. Scientist 'C'.	*42	Equivalent to Group	Level-11 in the pay	Not applicable.
	(2017)	'A' post in the Central	matrix (Rs. 67700-	
		Government.	208700).	
	*Subject to variation			
	dependent on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35 years.	(1) Educational qualifications:	Not applicable.	Two years	Deputation
. ,	· · ·		` /	\ /
	Or (c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with six years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or (d) Master in Computer Application (MCA) with six years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of the Central			

Autonor	nent or Statutory Bodies or nous Bodies or Public Undertakings or Private		
experier of experient of experient to (d) organizate (d) above in the Technol network Cyber 1	ogy with emphasis on		
follo desir (i) Fin (ii) Ene (iii) Tele Sect (iv) Info Con Tech Sect (v) Tr (vi) M	cking knowledge in the wing one or more areas is cable – ancial Services Sector; or regy or Power Sector; or recommunications for; or remation and formunications nology and Cyber furity Sector; or ansport Sector; or anufacturing Sector; or ealth Sector.		

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term	Departmental Selection Committee consisting of: -	Not applicable.
contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies - (a) (i) holding analogous post on regular	1. Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency Response Team	
basis in the parent cadre or Department; or (ii) with four years regular service in the	2. Scientist 'E' or equivalent - Member; in Indian Computer Emergency Response Team	
grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or Department; and	3. An officer of the level - Member. of Director or equivalent of Ministry of Electronics and Information Technology	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).	or from any other Ministry or Department of the Central Government	
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not		

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For ex-servicemen:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Scientist 'B'.	*57		Level-10 in the pay	Not applicable.
	(2017)	'A' post in the Central	matrix (Rs. 56100-	
		Government.	177500).	
	*Subject to variation			
	dependent on workload.			

	•	<u>'</u>	•	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years.	1) Educational qualifications:	Not applicable.	Two years	Deputation
			for direct	(including
Note 1: The crucial date	(a) Bachelor degree in Technology	Note: Promotion of	recruits.	short-term
for determining the age-	or Bachelor degree in Engineering	Scientific and		contract)/
limit shall be the closing	or Associate Member of Institute	Technical officers		absorption or
date for receipt of	of Engineers (A&B) (Computer	will be covered under		re-
applications from	Science or Computer Engineering	Modified Flexible		employment
candidates in India (and	or Information Technology or	Complementing		or direct
not the closing date	Electronics and Communication or	Scheme (MFCS) or		recruitment.
prescribed for those in	Electronics and	any other policy of		
Assam, Meghalaya,	Telecommunication) (with one	Ministry of		
Arunachal Pradesh,	year of relevant work experience	Electronics and		
Mizoram, Manipur,	for Associate Member of	Information		
Nagaland, Tripura,	Institute of Engineers) in	Technology or		
Sikkim, Ladakh Division	Ministries or Departments or	Department of		
of Jammu and Kashmir	Attached and Subordinate Offices	Personnel and		
State, Lahaul and Spiti	of the Central Government or	Training.		
District and Pangi Sub-	Statutory Bodies or Autonomous			
division of Chamba	Bodies or Public Sector			
District of Himachal	Undertakings or Private Sectors;			
Pradesh, Andaman and				
Nicobar Islands or	(b) Master degree in Science			
Lakshadweep).	(M.Sc.) (Physics or Electronics or			
	Applied Electronics) with one			
Note 2: The crucial date	year of relevant work experience			
for determining the age	in Ministries or Departments or			
limit in the case of	Attached and Subordinate Offices			
candidates from	of the Central Government or			
Employment Exchange	Statutory Bodies or Autonomous			
shall be the last date up to	Bodies or Public			
which the Employment				
Exchange is asked to				
submit the names.				
L		1	l .	l

		,
Sector Undertakings or Private		
Sectors;		
Or		
(c) Department of Electronics and		
Accreditation of Computer		
Courses (DOEACC) B-Level or		
Graduate Institute of Electronics		
and Telecommunication Engineers		
(IETE) with one year of relevant		
work experience in Ministries or		
Departments or		
Attached and Subordinate Offices		
of the Central Government or		
Statutory Bodies or Autonomous		
Bodies or Public Sector		
Undertakings or Private Sectors;		
Or		
(d) Master in Computer		
Application (MCA) with one year		
of relevant work experience in		
Ministries or Departments or		
Attached and Subordinate Offices		
of the Central Government or		
Statutory Bodies or Autonomous		
Bodies or Public Sector		
Undertakings or Private Sectors.		
(2) Working knowledge in the		
following one or more areas is		
desirable –		
(i) Financial Services		
Sector; or		
(ii) Energy or Power		
Sector; or		
(iii) Telecommunications		
Sector; or		
(iv) Cyber Laws or e-		
Commerce or Cyber		
Security or Cyber		
Forensics; or		
(v) Transport Sector; or		
(vi) Manufacturing Sector; or		
(vii) Health Sector.		

	(11)		(12)		(13)
Deputation	(including	short-term	Departmental Selection Commit	tee consisting	Not applicable.
contract)/ ab	sorption:		of: -		
State Gover	e Central Gover nment or Po or Autonomous	ublic Sector	Director General, Indian Computer Emergency Response Team	- Chairman;	
basis in the pa	g analogous pourent cadre or Do	epartment; or	Scientist 'E' or equivalent or above officer, Indian Computer Emergency Response Team	- Member;	
in the grade thereto on a	rendered after regular basis ne pay matrix	appointment in level-8 or	<u> </u>	- Member.	

151100) or (Rs. 44900-142400) respectively in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For ex-servicemen:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.

from any other Ministry or
Department of the Central
Government

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
6. Legal	*1	Equivalent to Group 'A'	Level-13 in the pay	Not applicable.
Officer.	(2017)	post in the Central	Matrix (Rs. 118500-	
		Government.	214100).	
	*Subject to variation			
	dependent on workload.			
	1			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation	(including
				short term	contract)/
				absorption	or re-
				employment.	

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption:	Departmental Selection Committee consisting of: -	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies –	Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency Response Team or Additional Secretary, Ministry of Electronics	
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	and Information Technology 2. Scientist, 'G' or equivalent -Member;	

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department;

(b) Essential qualifications and experience:

- Possessing Bachelor's degree in (i) Law from a ecognized University; and
- (ii) Possessing thirteen years experience in dealing with matters pertaining to:
 - (a) administration or finance with emphasis on tenders agreement or cost and accounts; and
 - (b) e-governance, networking intellectual property rights, cyber laws, e-commerce including experience in the field of academics in the areas of egovernance, networking, intellectual property rights, cyber laws, e-commerce.

(c) Desirable qualifications:

Post Graduate Diploma in Cyber Laws from a ecognized University; and

Note-1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of

the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For ex-servicemen:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on reemployment terms.

in Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology

3. An Officer of the level of - Member. Joint Secretary to the Government of India or Equivalent from other Ministry or Department or Organisation

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
7. Senior	*2	Equivalent to Group 'B' post	Level-8 in the pay	Not applicable.
Private	(2017)	in the Central Government.	matrix (Rs. 47600-	
Secretary.			151100).	
	*Subject to variation			
	dependent on			
	workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short- term contract)/ absorption or reemployment.

	Chip	loyment.
	T	
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/	Departmental Selection Committee consisting	Not applicable.
absorption:	of: -	
Officers of the Central Government or State	1. Director General, - Chairman;	
Government or Public Sector Undertakings or	Indian Computer Emergency	
autonomous bodies -	Response Team or officer of	
	the level of Scientist 'D'	
(a) (i) holding analogous post on regular basis		
in the parent cadre or Department; or	2. Deputy Secretary or - Member;	
	Equivalent Officer of	
(ii) Private Secretary with two years' service	Indian Computer Emergency	
in the grade rendered after appointment thereto	Response Team or Ministry	
on a regular basis in level-7 in the pay matrix	of Electronics and Information	
(Rs. 44900-142400) or with six years regular	Technology	
service in level-6 in the pay matrix (Rs.		
35400-112400).	3. Scientist 'D' level - Member.	
	officer from any other Ministry	
(b) The applicant should have passed	or Department or Statutory	
stenographic test and should have working	Bodies of the Government of India	
knowledge and experience of Computer.		
Note 1: Period of deputation including period		
of deputation in another ex-cadre post held		
immediately preceding this appointment in the		
same or other Organisation or Department of		
the Central Government shall ordinarily not		
exceed five years.		
Note 2: The maximum age-limit for		
appointment on deputation shall be not		
exceeding fifty-six years as on the closing date		
of receipt of applications		
For ex-servicemen:		
TOT CA-SCI VICCINCII.		
The Armed Forces personnel due to retire or		
who are to be transferred to reserve within a		
period of one year and having the requisite		
experience and qualifications prescribed shall		
also be considered and, if selected, such		
persons shall be given deputation terms up to		
the date on which they are due for release		
from the Armed Forces, and thereafter they		
may be continued on re-employment terms.		

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
8. Administrative Officer.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	(-101	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation short term absorption employment.	(including contract)/ or re-

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/	Departmental Selection Committee consisting	Not applicable.
absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or	of: - 1. Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency	
Autonomous Bodies – (a) (i) holding analogous post on regular basis	Response Team 2. Director or equivalent - Member;	
in the parent cadre or Department; or (ii) with three years regular service in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or five years regular service in level 5 in the pay	Officer of Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology	
matrix (Rs. 29200-92300) or eight years in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the parent cadre or Department; and	3. Deputy Secretary or - Member. Equivalent from any other Ministry or Department or	
(b) The applicant should have at least five years experience of handling all administrative and personnel matters of a Government rganization or office.	Organisation of the Central Government	
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
For ex-servicemen:		
The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto		
the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.		

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
Accounts and	*1	Equivalent to Group 'B'	Level-7 in the	Not applicable.
Finance Officer.	(2017)	post in the Central	pay matrix (Rs.	**
		Government.	44900-142400).	
	*Subject to variation		·	
	dependent on workload.			

	dependent on workload.	ation					
(6)	(7)		(0)		(0)		(10)
Not applicable.	(7) Not applicable.	N	(8) Tot applicable.	Not a	(9) applicable.	(incl term abso	utation uding short contract)/ rption or re- loyment.
	(11)			(12)			(13)
Deputation (incl absorption:	uding short-term con	tract)/	Departmental Seleof: -	ection Co	ommittee consis	ting	Not applicable.
	Central Government or Public Sector Undertakin s –		Director General, Indian Computer Response Team		- Chairman;		
parent cadre or Dep			2. Joint Director or in the Ministry of and Information	Electroni	ics		
pay matrix (Rs. 354 service in level 5 in 92300) or eight ye	s regular service in level 6 400-112400) or five years in the pay matrix (Rs. 29200 ears in level 4 in the pay 0) in the parent cad	egular - matrix	3. Deputy Secretary Equivalent from a Ministry or Depa Organisation of the Government	any other rtment or	- Member.		
experience of han	should have at least five dling all kinds of finance overnment rganization or	e and					
and operation	computer operation such as of personal computer and e-mailing will be pref	word					
deputation in a immediately precedor or other Organisati	deputation including per another ex-cadre post ling this appointment in the on or Department of the Cordinarily not exceed five ye	held e same Central					
deputation shall be on the closing date For ex-servicement		ears as					
are to be transferrone year and having qualifications presented, if selected,	s personnel due to retire of ed to reserve within a per ng the requisite experience cribed shall also be cons such persons shall be	riod of ce and cidered given					
due for release	pto the date on which the from the Armed Forces be continued on re-employees	s, and					

terms.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Private	*4	Equivalent to Group 'B'	Level-7 in the pay	Not applicable.
Secretary.	(2017)	post in the Central	matrix (Rs. 44900-	
		Government.	142400).	
	*Subject to variation		·	
	dependent on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years.	Graduation from any	Not applicable.	Two years for	Deputation (including
			direct recruits.	short- term contract)/
Note: The crucial date for	recognized university			absorption or re-
determining the age-limit shall				employment or direct
be the closing date for receipt	and stenography			recruitment.
of applications from candidates				
in India (and not the closing	speed of 100 word			Note: Direct Recruited
date prescribed for those in				will be made through
Assam, Meghalaya, Arunachal	per minute.			Employment Exchange
Pradesh, Mizoram, Manipur,				or as per
Nagaland Trinura Cildrin				Standard Operating
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and				Standard Operating Procedures (SOP)
Kashmir State, Lahaul and				specified by Ministry of
Spiti District and Pangi Sub-				Electronics and
division of Chamba District of				Information
Himachal Pradesh, Andaman				Technology.
and Nicobar Islands or				
Lakshadweep).				

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption:	Departmental Selection Committee Consisting of: -	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or autonomous bodies - (a) (i) holding analogous post on regular basis in	Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency Response Team or officer of the level of Scientist 'D'	
the parent cadre or Department; or	2. Deputy Secretary or - Member; Equivalent Officer of	
(ii) Stenographer or Personal Assistant with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or with five years regular service in level-6 in the pay matrix	Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology	
(Rs. 35400-112400). (b) The applicant should have passed stenographic test and should have working knowledge and experience of Computer.	Scientist 'D' level - Member. Officer from any other Ministry or Department or Statutory Bodies of the Government of India	
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of		

applications. For ex-servicemen: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on reemployment terms.

(1)	(2)		(4)	(5)
		(3)		
11. Assistant.	*2 (2017)	Equivalent to Group 'B'	Level-6 in the pay	Not applicable.
	*Subject to variation	post in the Central	matrix (Rs. 35400-	
	dependent on workload.	Government.	112400).	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including contract)/Absorption	short- or	term re-
				employment.	01	10

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/	Departmental Selection Committee consisting	Not
absorption:	of: -	applicable.
Officers of the Central Government or State		
Government or Public Sector Undertakings or	1. Director General, - Chairman;	
Autonomous Bodies -	Indian Computer Emergency	
(i) holding analogous post on regular basis in the	Response Team	
parent cadre or Department; or		
(ii) Office Assistant or equivalent with six or ten	2. Deputy Secretary or - Member;	
years regular service in the grade rendered after	Joint Director or equivalent	
appointment thereto on a regular basis in level-5	Officer in Indian Computer	
or level-4 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or	Emergency Response Team	
(Rs. 25500-81100) respectively.	or Ministry of Electronics	
Note 1: Period of deputation including period of	and Information Technology	
deputation in another ex-cadre post held		
immediately preceding this appointment in the	3. Scientist 'D' or equivalent – Member.	
same or other Organisation or Department of the	Government Officer from	
Central Government shall ordinarily not exceed	any other Ministry or Department	
five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment	or Statutory Bodies of the Government of India	
on deputation shall be not exceeding fifty-six	Government of india	
years as on the closing date of receipt of		
applications.		
For ex-servicemen:		
The Armed Forces personnel due to retire or who		
are to be transferred to reserve within a period of		
one year and having the requisite experience and		
qualifications prescribed shall also be considered		
and, if selected, such persons shall be given		
deputation terms up to the date on which they are		
due for release from the Armed Forces, and		
thereafter they may be continued on re-		
employment terms.		

[F. No. 1(5)/2016-P.III] RAJIV KUMAR, Jt. Secy.